संख्या–वे0आ0–2–928 /दस–54(एम)/2009 टी0सी0

प्रेषक,

श्री बी0एन0 दीक्षित,
सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1)समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2)समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 17 अगस्त, 2009

विषयः– पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण।

महोदय,

वेतन समिति–2008 के प्रथम प्रतिवेदन मे की गई संस्तुतियों पर लिए गये निर्णय के अनुसार राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा राज्य के शिक्षको एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी, 2006 से अनुमन्य करायी गयी पुनरीक्षित वेतन संरचना में शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस–59 (एम)/2008 दिनांक 8 दिसम्बर 2008 के साथ पठित शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–299/दस–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 27 फरवरी 2009 द्वारा वेतन निर्धारण की व्यवस्था निर्धारित की गई है।

2– उपर्युक्त शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार दिनांक 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में 06 माह अथवा अधिक अवधि पूर्ण करने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्धि देय है, परन्तु ऐसे कार्मिक, जो नियुक्ति/पदोन्नति होने पर दिनांक 01 जनवरी को केवल रविवार/राजपत्रित अवकाश पड़ने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके और उनके द्वारा वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को कार्यभार ग्रहण किया गया, उन्हें अगली 01 जुलाई को 06 माह से कम सेवा होने के कारण वेतनवृद्धि की देयता के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट नहीं है।

3– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिक, जो नियुक्ति/पदोन्नति होने पर दिनांक 01 जनवरी को केवल रविवार अथवा राजपत्रित अवकाश पड़ने के कारण कार्यभार ग्रहण नहीं कर सके और उनके द्वारा वर्ष के प्रथम कार्य दिवस को कार्यभार ग्रहण किया गया है, उनकी उस वर्ष की आगामी 01 जुलाई को छः माह की सेवायें वेतनवृद्धि के आगणन हेतु पूर्ण मानी जायेंगी तथा उन्हें उस वर्ष की 01 जुलाई को पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि देय होगी।

भवदीय,

बी0एन0 दीक्षित
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2– 928 (1)/दस–59(एम)/2009, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3– प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4– महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उ0प्र0।
9– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
15– निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
16– समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
17– उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
18– प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
19– प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
20– कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005 ।
21– रीजनल प्राविडेन्ट मण्ड कमिश्नर, कानपुर।
22– निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर।
23– निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लखनऊ।
24– निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
25– प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
26– प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
27– प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
28– प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
29– प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
30– प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
31– व्यावस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
32– पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
33– संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
34– चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
35– नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
36– गार्डबुक।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 42 सा0वित्त–20.8.2009–(1186)–3000 प्रतियां (क0/आफसेट)।

5– निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,उ0प्र0, इलाहाबाद।
6– निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
7– निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
8– वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय,उ0प्र0।
9– सचिवालय के समस्त अनुभाग।
10– इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
11– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12– समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक/समस्त मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिकायें, उत्तर प्रदेश।
13– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
14– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
15– निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, अरबी पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
16– समस्त सहायक निरीक्षक, संस्कृत पाठशालायें, उ0प्र0, इलाहाबाद।
17– उ0प्र0 के समस्त गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य।
18– प्रधानाचार्य, मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद।
19– प्रधानाचार्य, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर।
20– कुल सचिव, दयालबाग एजूकेशनल इंस्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय), दयालबाग, आगरा–282005 ।
21– रीजनल प्राविडेन्ट मण्ड कमिश्नर, कानपुर।
22– निदेशक, के0एन0 इंस्टीट्यूट आफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी, सुल्तानपुर।
23– निदेशक, इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालॉजी, लखनऊ।
24– निदेशक, एच0बी0टी0आई0, कानपुर।
25– प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 के अधीन सभी सहायता प्राप्त बहुधन्धी संस्थाओं के प्रधानाचार्य।
26– प्रधानाचार्य, डी0ए0वी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, कानपुर।
27– प्रधानाचार्य, किश्चियन (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ।
28– प्रधानाचार्य, किशोरी रमण (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, मथुरा।
29– प्रधानाचार्य, के0पी0 (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद।
30– प्रधानाचार्य, (एल0टी0) प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा, वाराणसी।
31– व्यावस्थापक, सेवा भारतीय अध्यापन मन्दिर, सेवापुरी, वाराणसी।
32– पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
33– संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
34– चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
35– नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
36– गार्डबुक।

आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 42 सा0वित्त–20.8.2009–(1186)–3000 प्रतियां (क0/आफसेट)।